न्यायालय IV अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, हमीरपुर

<u>सत्र परीक्षण संख्या 21/2018</u>

राज्य बनाम मुक्ता प्रसाद आदि

धारा–304, 323, 504, 506 भा0दं0सं0

थाना–कुरारा, हमीरपुर।

अ0सं0–206/2017

<u>दिनांक 14–01–2019</u>

पत्रावली पेश हुई। **प्रार्थना पत्र 28क** निस्तारण हेतु नियत है।

प्रार्थनापत्र 28क वादी रामबाबू द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वह प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्तगण मुक्ता व शिवशरण के साथ अभियुक्त छोटू पुत्र मुक्ता, रवि पुत्र शिवरण व प्रयाग नारायण पुत्र छोटा निवासीगण ग्राम जलावा भटपुरा, थाना कुरारा जिला हमीरपुर को नामजद किया था। दौरान विवेचना वादी आदि के बयानों में भी अभियुक्तगण छोटू, रवि व प्रयागराज का नाम घटना कारित करने में आया है। पी0डब्लू0–1 साक्षी रामबाबू चुटहिल व पी0डब्लू0–2 ज्ञानवती चुटहिल ने अपने बयाना में छोटू, रवि व प्रयागनारायण को मुक्ता व शिवशरण के साथ घटना कारित करने का कथन किया है। न्यायालय में साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण **छोटू, रवि व प्रयागनारायण** को तलब किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थनापत्र शपथ पत्र से समर्थित है।

आपत्ति अमन्त्रित की गयी। अभियुक्तगण की ओर से यह कहा गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एक माह बाद विलम्ब से सोच–समझ कर दर्ज कराई गयी है। प्राथमिकी में घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। वादी द्वारा दिखाये गये चोटों को अभियुक्तगण द्वारा कारित किये जाने का झूंठा आरोप लगाया है। उनके परिवार को परेशान करने और आर्थिक शोषण की नियत से यह प्रार्थनापत्र दिया गया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया कोई प्रमाण उक्त अपराध में नहीं है, जिन्हें तलब करने के लिए यह प्रार्थनापत्र दिया गया है। धारा–319 दं0प्रं0सं0 के अन्तर्गत उन अभियुक्तों को तलब किया जा सकता है जिनके द्वारा अपराध करित करना स्पष्ट रूप से किया जाना प्रकट होता हो। हालांकि अभियुक्तगण को इस प्रार्थनापत्र पर आपत्ति देने का वैधानिक अधिकार नहीं है लेकिन न्यायालय के सम्मुख/समक्ष सही तथ्यों को बताने में यदि कोई पक्ष मदद करता है तो न्यायालय उन तथ्यों को संदर्भित कर सकता है।

विधि व्यवस्था **<u>हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य 2014 (85) ए 0सी0सी0 पेज–313 सुप्रीम कोर्ट</u>** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने धारा–319 दं0प्रं0सं0 के सन्दर्भ में न्यायालय द्वारा अपराध में विचारण हो रहे व्यक्तियों के

अलावा अन्य लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रावधान है। प्रभावी न्याय निर्णयन के लिए यह पीड़ित को प्रतिरक्षा प्रदान करता है और समाज को एक संदेश देता है कि वास्तविक अपराधी कानून के दायरे से भाग नहीं सकता। परन्तु अभियुक्त तब तक बेगुनाह माना जाता है जब तक कि न्यायालय द्वारा उसे दोषसिद्ध न कर दिया जाये। वास्तव में धारा–319 दं0प्र0सं0 फेयर ट्रायल का अंग है। जिससे वास्तविक अपराधी जिन्होने अपराध किया है वे दण्डित होने से रह न जाये।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस विधि व्यवस्था में धारा–319 दं0प्रं0सं0 की शक्ति का प्रयोग करने के लिए संतुष्टि की डिग्री जो अपेक्षित है, इस सम्बन्ध में स्थिति को स्पष्ट किया है।

विधि व्यवस्था **वृन्दाबन दास एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 2009 (66) ए0सी0सी0 पेज–273** माननीय उच्चतम न्यायालय धारा–319 दं0प्रं0सं0 के सम्बन्ध में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि विचारण न्यायालय को इस शक्ति का प्रयोग बहुत ही विवेकपूर्ण एवं सावधानी से करना चाहिए ताकि न्याय हो सके। साक्ष्य वह जो तलब होने वाले अभियुक्तगण को अपराध से सम्बन्धित कर रहा हो वह सारवान साक्ष्य होना चाहिए। यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अलावा कोई सारवान साक्ष्य अभियुक्तगण का घटना में शामिल होने के सम्बन्ध में न हो तो ऐसे लोगों को धारा–319 दं0प्रं0सं0 में तलब नहीं करना चाहिए।

विधि व्यवस्था **सरबजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य 2009 (66) ए0 सी0सी0 पेज–32 में** माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि धारा–319 दं0प्रं0सं0 के क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय न्यायालय को इस बात से मुतमईन (पूर्ण संतुष्ट) होना चाहिए कि इस सम्बन्ध में पर्याप्त संदेह और आधार हैं जिसके आधार पर यह असाधारण केस बनता है। पर्याप्त व युक्ति–युक्त कारण न्यायालय को ऐसे मामलों में देना चाहिए जिससे प्रावधान में वर्णित मूल तत्व संतुष्ट हो सके। किसी निश्चय पर पहुंचने के लिए निर्धारत उच्च मानकों के आधार पर ही अभियुक्त को तलब किया जाता है और इस शक्ति का प्रयोग करने में न्यायालय को असाधारण सावधानी रखनी चाहिए और इस क्षेत्राधिकार का विरलतम प्रयोग करना चाहिए।

पत्रावली के परिशीलन से यह तथ्य विदित होता है कि उक्त मामले में वादी मुकदमा रामबाबू द्वारा घटना दिनांक 17–6–2017 के बावत थाना कुरारा में दिनांक 14–7–17 को इस आशय का प्रार्थनापत्र दिया कि वह घटना दिनांक को खपरैल छा रा हथा कि उसके गांव के मुक्ता व शिवशरण, छोटे, रवि एवं प्रयागनारायण एक राय होकर लाठी–डण्डा व कुल्हाडी लेकर आये और घर में घ

ुसकर उसे मॉ–बहन की गालियॉ देने लगे और पानी निकासी के लिए मना किये, तथा उसका खप्पर निकालने, फेंकने लगे। खप्पर फेंकने से मना किया तो सभी लोगों ने डण्डा, कुल्हाड़ी से मारने लगे। शोर पर मौके पर वादी की पुत्रियां आ गयी तों उन्हें भी मारा पीटा। जिससे वादी, उसकी पत्नी, माता एवं पुत्रियों को गम्भीर चोटें आयीं। वादी ने 100 नम्बर पर फोन कर पुलिस को बुलाया, पुलिस वालों ने समस्त चोटहिलों को एम्बुलेन्स बुलाकर कुरारा अस्पताल ले गये। वादी की पत्नी एवं मॉग की गम्भीर हालत होने पर जिला अस्पताल हमीरपुर रिफर किया गया। प्रार्थी दिनांक 21–6–17 को थाना जाकर प्रार्थनापत्र दिया परन्तु रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। दिनांक 19–6–2017 को एस0पी0 हमीरपुर को भी दिया फिर भी कार्यवाही नहीं हुई तब दिनांक 14–7–2017 को वादी पुलिस उपमहानिरीक्षक चित्रकूट धाम मण्डल बांदा को प्रार्थनापत्र दिया। विवेचक द्वारा अभियुक्तगण मुक्ता, शिवशरण, छोटू के विरूद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया। अन्य अभियुक्तगण **छोटू, रवि व प्रयागनारायण** के विरूद्ध साक्ष्य न मिलने पर विवेचक द्वारा उनके विरूद्ध आरोपपत्र नहीं प्रेषित किया गया। न्यायालय में साक्ष्य के स्तर पर पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा ने मुख्य परीक्षा में कहा कि अभियुक्त मुक्ता व शिवशरण दोनों सगे भाई हैं। मुल्जिम छोटू मुक्ता का लड़का है। अभियुक्त रवि, शिवशरण का पारिवारिक मेली है। घटना दिनांक 17–6–17 को वह अपने घर में खपरैल छा रहा था। अभियुक्तगण मुक्ता व शिवशरण, छोटू, रवि व प्रयागनारायण अपने हांथ में डण्डा–लाठी व कुल्हाडी लेकर उसके घर के अन्दर घुस आये और गालीगलौज करते हुए कहा कि उनकी तरफ पानी मत उतारो, सम्भी मुल्जिमान खपरैल से खपरे निकालकर फेंकने लगे। मना करने पर लाठी–डण्डों से मारपीट किये जाने का साक्ष्य है। वादी द्वारा तहरीर घटना दिनांक 17–6–2017 के बावत थाना दिनांक 14–7–17 को पुलिस उपमहानिरीक्षक चित्रकूट धाम मण्डल बांदा को दिया गया जिसके आधार पर थाना कुरारा में एफ0आई0आर0 पंजीकृत हुआ। उक्त तहरीर में वादी ने अपनी मॉ की मृत्यु होने का कथन नहीं किया है और न ही यह कथन अंकित किया कि अभियुक्तगण द्वारा पहुंचाई गयी चोटों के कारण उक्त की मृत्यु हो गयी। परिवारीजन के सभी लोगों को इस घटना में शामिल किया गया है जबकि विवेचक ने अभियुक्तगण छोटू, रवि व प्रयागनारायण को इस घटना संलिप्त न होना पाया गया और अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत किया। कथित चोटें एवं डाक्टरी परीक्षण में आयी चोटों में विरोधाभाष है। वादी की मॉ बुजुर्ग होने के कारण उक्त की मृत्यु होने का तर्क अभियुक्तगण की ओर से दिया गया है। धारा–319 दं0प्रं0सं0 के प्रयोग के समय न्यायालय को अत्यन्त सावधानी से समस्त साक्ष्य देखना चाहिए। न्यायालय का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वास्तविक अपराधी कहीं

दण्डित होने से बच तो नहीं रहा है। वादी द्वारा ऐसा कोई सारवान साक्ष्य न्यायालय में इस स्तर पर नहीं है जिससे धारा–319 दं0प्रं0सं0 के निस्तारण के समय अन्य लोगों के नाम जो तहरीर में दिये गये, को मुल्जिमान के रूप में तलब किया जाये।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर अनेकों विधि व्यवस्थाओं में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसे प्रार्थनापत्र के निस्तारण के समय न्यायालय को पर्याप्त सावधानी रखनी चाहिए। रूटीन में ऐसे प्रार्थनापत्र को स्वीकार नहीं करना चाहिए। वादी एवं अभियुक्तगण में पानी निकासी का विवाद है। उक्त के चलते दोनों पक्षों में रंजिश होना स्वाभाविक है। मृतका की चिकित्सीय परीक्षण आख्या में जो चोटे दर्शित की गयी हैं उनमें मात्र खरोंच की आनी कही गयी हैं जो मृत्यु के लिए पर्याप्त नहीं बताई गयीं। प्रस्तुत मामले में पी0डब्लू0–1 एवं पी0डब्लू0–2 तथा पी0डब्लू0–3 साक्षीगण के साक्ष्य अंकित किये जा चुके हैं, पी0डब्लू0–4 साक्षी के साक्ष्य हेतु नियत चल रही है।

तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रश्नगत मामले में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 28क अन्तर्गत धारा–319 दं0प्रं0सं0 खारिज किये जाने योग्य है।

–<u>आदेश</u>–

प्रार्थनापत्र **28क** अन्तर्गत धारा–319 दं0प्रं0सं0 उपरोक्तानुसार खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 22–01–2019 को पेश हो।

दिनांक 14–01–2019

न्यायालय, IV अपर सत्र न्यायाधीश
हमीरपुर।